उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-33/2017/180/92-2-2017-87जॉच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 28 फरवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-चित्रकूट द्वारा सही तथ्यों को छुपाने तथा त्रुटिपूर्ण, भ्रामक सूचना प्रेषित करने, डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निर्मित एवं पूर्ण् कार्यों के सापेक्ष दिनांक 28.08.2015 तक वास्तविक रूप से किये गये भुगतान एवं मासिक रिपोर्ट में दर्शायी गयी व्यय धनराशि में भिन्नता पाये जाने तथा गलत सूचना प्रेषित कर शासकीय धन का दुरूपयोग का प्रयास किये जाने तथा शासन की मत्वपूर्ण योजनाओं में उदाशीनता बरतने, लक्ष्यों को समय से पूर्ण कराने में पर्याप्त रूचि न लेने एवं शासकीय आदेशों की अवहेलना किये जाने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–चित्रकूट (सम्प्रति निलाम्बित) को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 33/2017/180(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या जी-1231/ग्रा0आ0वि0/स्था0-1/व्य0प0/2016-17 दिनांक 25.01.2017 के सन्दर्भ में।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्नक सहित (दो प्रतियों में) इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आरोप पत्र में यथास्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुये प्राप्ति रसीद शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3-श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड–चित्रकूट (सम्प्रति निलाम्बित) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।